छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 390/2006

श्री राम शरण सिंह,
सहायक आयुक्त,
कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति
तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा
अनुसूचित जाति विकास विभाग, ... प्रतिअपीलार्थी
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(दिनांक 05 दिसम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री राम शरण सिंह के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21–03–2006 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक आयुक्त/अनुसंधान अधिकारी/प्राचार्य पद से उपायुक्त एवं समकक्ष पद पर दिनांक 17–01–2006 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजे गये पदोन्नति प्रस्ताव की प्रति चाही गई थी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा पत्र दिनांक 27–03–2006 के द्वारा 17 पृष्ठ संख्या के दस्तावेजों की प्रतिलिपि दी गई। किन्तु पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित लिफाफा बंद तथा परिभ्रमण में रखे गये अधिकारियों का मॉडल रोस्टर जो कि अनुसूची–3 में तैयार किया जाता है कि सत्यापित प्रति नहीं दी गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को स्मरण भी कराया। अपीलार्थी ने वांछित जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 28–09–2006 को जन सूचना अधिकारी को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये। निर्देशानुसार जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 29–09–2006 के द्वारा सहायक आयुक्त/प्राचार्य/अनसंधान अधिकारी के आरक्षण रोस्टर की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई। अपीलार्थी ने उक्त संवर्ग में पूर्व से कार्यरत अधिकारियों का मॉडल रोस्टर जो अनुसूची–3 में तैयार किया जाता है कि सत्यापित प्रति न मिलने के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा नियमों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की रोस्टर सूची जो कि अनुसूची–3 में नियमानुसार तैयार की जाती है की सत्यापित प्रति मांगी थी। उसे उक्त प्रति प्रदान नहीं की गई। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण, पदोन्नति समिति से संबंधित नोटशीट की छायाप्रति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति हेतु भेजे गये प्रस्ताव की सत्यापित प्रति प्रदान कर दी गई है। शासन के द्वारा वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों सहित मॉडल रोस्टर अभी तैयार नहीं किया गया है। विभागीय नियमों के अंतर्गत सहायक आयुक्त/अनुसंधान अधिकारी/प्राचार्य पद से उपायुक्त एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति वरीयता–सह–ज्येष्ठता (Merrit-cum-Seniority) के आधार पर की गई है। वरियता क्रम में ये किस रोस्टर बिन्दु पर आयेंगे, अभी इसका अनुमान किया जाना संभव नहीं है। परिभ्रमण में रखे गये दोनों अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। अतः ये सामान्य के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु प्राप्त करेंगे अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु, यह अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। यह निर्णय होने के पश्चात् ही मॉडल रोस्टर अनुसूची–3 के अनुसार तैयार किया जावेगा। चूँकि उक्त रोस्टर अभी तैयार ही नहीं है, अतः उसे उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पदोन्नति से संबंधित काफी जानकारी दी जा चुकी है, यहां तक कि उसे पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण, लोक सेवा आयोग को भेजे गये प्रस्ताव, पदोन्नति के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की प्रतियां आदि दी जा चुकी है। चूँकि अभी मॉडल रोस्टर (अनुसूची–3 अनुसार) तैयार नहीं है, अतः उसे नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कार्यालय में जो अभिलेख उपलब्ध है उसकी प्रति आवेदक को दी गई है। यह अवश्य है कि उक्त रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने यह मांग की कि उसे वांछित रोस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रकरण से स्पष्ट है कि वांछित मॉडल रोस्टर तैयार नहीं हुआ है, अतः जन सूचना अधिकारी इसको प्रदान न करने के लिए दोषी नहीं है, इनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है। छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग राजपत्रित सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत अनुसूची–3 अनुसार मॉडल रोस्टर बनाया जाना चाहिए। अतः इस आदेश की एक प्रति सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग को भेजी जावे कि वे नियमों के अंतर्गत यथाशीघ्र मॉडल रोस्टर बनाकर जारी करें।

5/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त